न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 07/2014

प्रार्थी
रूगा पुत्र टिलू जाति मेधवाल
निवासी बूठिया तहसील
रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी
1. तारा पुत्र पूनमा
2. ज्ञान पुत्र पूनमा
   जाति मेघवाल निवासी गडरारोड़
   तहसील गडरारोड़
3. महेशा पुत्र जोगा
4. रामा पुत्र जोगा
   जाति जाट निवासी झेलून
   तहसील रामसर
5. गोपाल पुत्र महेरू जाति मेघवाल
   निवासी गडरारोड़ तहसील
   गडरारोड़ जिला बाड़मेर
6 तहसीलदार रामसर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थित– 1. प्रार्थी मय अधिवक्ता श्री पदमसिंह पहाड़िया उपस्थित
2. विप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार रामसर उपस्थित

निर्णय **दिनांक 25.5.2016**

1. संक्षेप में आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को भूमिहीन मानकर राज्य सरकार द्वारा मौजा ग्राम बूठिया के खसरा नंबर 243 रकबा 71 बीघा में से 50 बीघा भूमि आवंटित किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा बताये गये रकबा 50 बीघा पर काश्त करना प्रारम्भ किया। वर्तमान में बूठिया का नया राजस्व ग्राम झेलून बन जाने से उक्त खसरा ग्राम झेलून में है। बाद आवंटन प्रार्थी को गैर खातेदारी संवत 2035 से 2044 के लिये सनद जारी की गई परन्तु हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने के कारण तहसीलदार रामसर ने प्रार्थी के विरूद्व राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत श्रीमान् जिला कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

महोदय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें दिनांक 20.5.2009 को पुनः जांच कर विधिवत कार्यवाही करने के आदेश दिये जाकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए खारिज किया गया, प्रार्थी को खसरा नंबर 243 रकबा 50 बीघा मौजा झेलून तहसील रामसर में कायम रखा। उक्त आदेश के बावजूद तहसीलदार रामसर ने राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया। प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2013 के दौरान् प्रभारी अधिकारी केम्प बूठिया ने विप्रार्थी संख्या 01 को खसरा नंबर 243 में से रकबा 11 बीघा 13 विस्वा, विप्रार्थी संख्या 02 को 11 बीघा 13 विस्वा, विप्रार्थी संख्या 03 को 2 बीघा 2 विस्वा, विप्रार्थी संख्या 04 को 2 बीघा 2 विस्वा एवं विप्रार्थी संख्या 5 को 13 बीघा 06 विस्वा आवंटन/नियमन करने की सिफारिश विप्रार्थीगण के नाम कर दी, जिसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में किया गया। जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 20.5.2009 को पारित निर्णय अनुसार प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं की जा सकती। विप्रार्थीगण के आवंटन/नियमन को निरस्त करवाया जावें।

2. हमने प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प रामसर में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 मय उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 1 व 4 अनुपस्थित रहे। विप्रार्थी संख्या 06 की ओर से तहसीलदार रामसर उपस्थित रहे।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि राज्य सरकार ने भूमिहीन मानते हुए प्रार्थी को मौजा ग्राम बूठिया के खसरा नंबर 243 रकबा 71 बीघा में से 50 बीघा भूमि दिनांक 3.8.1979 को आवंटित किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा बताये गये रकबा 50 बीघा में काश्त करना प्रारम्भ किया। बाद आवंटन प्रार्थी को गैर खातेदारी संवत 2035 से 2044 के लिये सनद जारी की गई परन्तु हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने के कारण तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थी के विरूद्व नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत दायर राजस्व आवेदन पत्र को बाद सुनवाई दिनांक 20.5.2009 को अस्वीकार करते हुए पुनः जांच कर विधिवत कार्यवाही के आदेश पारित कर खारिज किया। तथा प्रार्थी को खसरा नंबर 243 रकबा 50 बीघा मौजा झेलून तहसील रामसर में कायम रखा। उक्त आदेश के बावजूद तहसीलदार रामसर ने राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं करने के कारण प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2013 के दौरान् प्रभारी अधिकारी केम्प बूठिया ने विप्रार्थी संख्या 1 को

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खसरा नंबर 243 में से रकबा 11 बीघा 13 विस्वा, विप्रार्थी संख्या 2 को 11 बीघा 13 विस्वा, विप्रार्थी संख्या 3 को 2 बीघा 2 विस्वा, विप्रार्थी संख्या 4 को 2 बीघा 2 विस्वा एवं विप्रार्थी संख्या 5 को 13 बीघा 06 विस्वा आवंटन/नियमन करने की सिफारिश विप्रार्थीगण के नाम कर दी, जिसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को विप्राथीगण आवंटित सुदा भूमि पर अब काश्त करने नहीं दे रहे है। जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 20.5.2009 को पारित निर्णय अनुसार प्रार्थी को आवंटित भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं की जा सकती। विप्रार्थीगण के आवंटन/नियमन को निरस्त करवाया जावें।

4. पक्षकारान् लोक अदालत में इस प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिये लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर तहसीलदार रामसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2012 को निरस्त किया जावें।

5. विप्राथीगण के विद्वान अधिवकता ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि विप्रार्थीगण ग्राम बूठिया वर्तमान ग्राम झेलून के खसरानंबर 243 में संवत् 2029 से काबिज होकर काश्त कर रहे है आदिनांक तक भूमि मौके पर कब्जा विप्रार्थीगण का ही है। विवादग्रस्त भूमि पर संवत 2029 में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पूनमा का रकबा 75.00 बीघा भूमि पर कब्जा था। पूनमा का देहान्त हो जाने के बाद विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 का कब्जा लगातार रहा है। इसप्रकार प्रार्थी को वर्ष 1979 में किया गया भूमि आवंटन ही नियम विरूद्व था क्योंकि विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता के कब्जा–काश्त एवं आधिपत्य में थी। राजस्थान् भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 3 में स्पष्ट प्राविधित हैं कि केवल अनधिवासित भूमि का ही आवंटन किया जा सकता था। विवादग्रस्त खसरा नंबर 243 की भूमि पर विप्रार्थीगण का कब्जा होने के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमन की गई है। इसमें अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की गई एवं न ही आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा किन्ही नियमों की अवज्ञा कर नियमन किया गया है, ऐसे में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया नियमन पूर्णरूपेण विधि अनुकूल है, जिसके विरूद्व नियम 14(4) की परिस्थिति लागू नहीं होती है। विप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के पक्ष में विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए नियमन भू–आवंटन नियमन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण जांच उपरान्त किया गया है सम्पूर्ण प्रिमियम एवं भू–राजस्व लगाने की अदायगी कर भूमि पर अपने खातेदारी अधिकार कन्फर्म करवा लिये गये है, ऐसे

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

में प्रार्थी का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज करने योग्य है, जिसें खारिज फरवाया जावें।

6. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह राजस्व आवेदन पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत पेश किया है। प्रार्थी का ग्राम झेलून के खसरा नंबर 243 रकबा 50 बीघा पर कभी कब्जा नहीं रहा है। न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में फैसल होने के बाद दोबारा आवेदन पत्र पेश करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प रामसर में आज दिनांक 25.5.2016 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)